कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-12-09-2025

रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स से फर्जी ट्रेजरी अधिकारी बनकर व ओ.टी.पी. पूछकर वादी मुकदमा के खाते से 4311857/- रूपये का फ्राड कर लिया गया था, जिसमे साइबर क्राइम थाना कमि0 वाराणसी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि वादी मुकदमा के खाते में वापस कराया गया।

वादी मुकदमा श्री लल्लन प्रसाद ग्रा0पो0 बारा थाना गहमर जिला –गाजीपुर के द्वारा सूचना दी गयी कि मैं 25 वीं वाहिनी पी0ऐ0सी रायबरेली से कम्पनी कमान्डर सेवा से रिटार्यड हुआ हूँ, मेरे मोबाइल साइबर अपराधियों के द्वारा फोन कर बताया गया कि गाजीपुर ट्रेजरी से बोल रहा हूँ तथा पेंशन हेतु बैंक विवरण व ओ0टी0पी0 पूछकर वादी मुकदमा के साथ 43,11,857/- रुपये की धोखाधड़ी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में साइबर क्राइम थाना वाराणसी पर मु0अ0सं0- 0002/2022 धारा- 417,420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त में 10 लोगो को गिरफ्तार करते हुए कुल 17 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, तथा विभिन्न खातो में फ्राड कि धनराशि होल्ड कराया गया था।

उक्त प्रकरण में समय समय पर उच्चाधिकारीगण के प्राप्त आदेश निर्देश के क्रम में वादी मुकदमा को होल्ड धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए, तमामी जांच व विश्लेषण के उपरान्त माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश के क्रम में लगातार सम्बन्धित बैंको के नोडल से पत्राचार व व्यक्तिगत रुप से सम्पर्क व समन्वय स्थापित कर वादी के खाते में धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि वापस कराया गयी है। जिस पर वादी मुकदमा द्वारा लिखित रूप से तहरीर देकर सहयोग व कार्यवाही के लिए थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम के साथ साथ वाराणसी पुलिस के उच्चाधिकारीगण को धन्यवाद प्रेषित कर भूरी –भूरी प्रशंसा किया गया साथ ही साथ आम जनमानस के द्वारा भी उपरोक्त कार्य की प्रशंसा की गयी है।

अनाधिकृत कटा राशि --- 43,11,857/- रूपये
वापस कराया गया राशि--- 43,11,857/- रूपये

पुलिस टीम के सदस्य थाना साइबर क्राइम वाराणसी -

1. प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा– थाना प्रभारी निरीक्षक।
2. निरीक्षक राकेश कुमार गौतम
3. उ.नि. संजीव कुमार कनौजिया
4. क0आ0 ग्रेडी बी श्यामलाल गुप्ता
5. हे0का0 गोपाल चौहान
6. का0 चन्द्रशेखर यादव
7. का0 पृथ्वी राज सिंह
8. का0 अंकित प्रजापति